जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-20.08.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 202 ग्राम चरस बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 19.08.2025 की रात्रि में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर तस्लीम पुत्र शमीम निवासी मोहल्ला शेखा मैदान थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 202 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 411/25 धारा-08/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त तस्लीम उपरोक्त के मादक पदार्थों तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है

नाम व पता अभियुक्तः-

1.तस्लीम पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला शेखा मैदान थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 202 ग्राम चरस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

- मु0अ0सं0 411/25 धारा-08/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- का0 शादाब थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- का0 अंकित मावी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

“नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

“ऑपरेशन सवेरा”
“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20.08.2025 को थाना थानाभवन/बाबरी/गढीपुख्ता पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले स्कूल/कालेज के छात्र-छात्राओ व स्टाफ के साथ नशा मुक्ति कराने के सम्बन्ध में मीटिंग आयोजित की गयी। सभी से व्यक्तिगत संवाद स्थापित कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और नशामुक्त जीवन अपनाने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया गया।

प्रमुख बिंदु
- छात्र-छात्राओ को नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया गया।
- सभी छात्रों को यह संकल्प दिलाया गया कि— “नशा छोड़ना ही सच्चा सवेरा है, जो जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है।”
- स्कूल/कालेज स्टाफ/प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर जागरूकता, काउंसलिंग सत्र और अन्य गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ।

अभियान का उद्देश्य
“ऑपरेशन – सवेरा:- नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” केवल अपराधियों पर की जाने वाली कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन है। इसका मूल उद्देश्य—
- समाज से नशे की बुराई को जड़ से समाप्त करना।
- युवा पीढ़ी को स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करना।
- और परिवारों को नशे की विनाशकारी प्रवृत्ति से मुक्त कराना है।

पुलिस की अपील
शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।
“नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।
थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब के पव्वे व नगदी बरामदः-

दिनांक 19.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 29 पव्वे देशी शराब व देशी शराब बेचकर प्राप्त 2600/- रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-
1.अजय पुत्र सतपाल निवासी ग्राम कुतुबगढ़ थाना थानाभवन जनपद शामली।
बरामदगी का विवरणः-
1.अवैध 29 पव्वे/ट्रेटा पैक यूपी न0 01 देशी शराब।
2.देशी शराब के पव्वे बेचकर प्राप्त 2600/- रुपये की नगदी।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1.उ0नि0 श्री दीपचंद थाना थानाभवन जनपद शामली।
2.है0का0 यशपाल थाना थानाभवन जनपद शामली।
3.का0 मोहित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

प्रेस नोट

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर छेड़छाड व दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय, मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2017 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त विशाल उर्फ मुखिया पुत्र बिरजू निवासी मौहल्ला चन्दनपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर छेड़छाड व दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। इसी क्रम में आज दिनांक 20.08.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-01,मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त विशाल उर्फ मुखिया उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 354 बी भादवि में 05 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 10,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 376/511 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम में 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।